



माया बाई लोधी फाउंडेशन

फ्री सिलाई मशीन योजना

Website-www.mayabailodhifoundation.org



Regd Office- JR MIG 202/2, Lupin Park, Mandideep, Bhopal (MP) 464046

Branch Office- Village Aamgaon Chhota , Tehsil - Gadarwara , Dist -
Narsinghpur, (MP) 487751



Overview

- About Us 01
- Our Mision 02
- Sewing Machine Training 03
- Sewing Macine Facility 04
- Job Profiles 05
- Dist. Supervisor Benefits 06
- Contact Details 07





ABOUT US

माया बाई लोधी फाउंडेशन एक गैर सरकारी संगठन (NGO) है, जो की भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और मिनिस्ट्री ऑफ़ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत 2 वर्षों से कार्यशील है, हमारा NGO महिलाओ को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से काम कर रहा है। यह फाउंडेशन विशेष रूप से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने के लिए विभिन्न योजनाये चला रहा है। हमारा प्रमुख उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सशक्तिकरण प्रदान करना है।





माया बाई लोधी फाउंडेशन

फाउंडेशन का उद्देश्य :

1. महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना
2. महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार करना
3. महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करना
4. महिलाओं को खुद का काम शुरू करने के लिए प्रेरित करना



“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam semper ipsum urna, nec cursus dolor dictum nec. Donec luctus mauris quis cursus.”



फ्री सिलाई मशीन प्रशिक्षण योजना

Simco Umbrella
Sewing Machine
TA 2 T 10 95



माया बाई लोधी फाउंडेशन ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए "फ्री सिलाई मशीन योजना" शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य है कि महिलाओं को सिलाई की कला सिखाई जाए और उन्हें सिलाई मशीन दी जाए ताकि वे घर बैठे काम करके अपने परिवार की आर्थिक मदद कर सकें।

फ्री रेजिस्ट्रेशन



इस योजना में पंजीकरण का कोई शुल्क नहीं है, कोई भी महिला जो 16 वर्ष से 50 वर्ष की आयु की हो, इस योजना में जुड़कर सिलाई मशीन का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकती है

7 दिनों का सिलाई मशीन प्रशिक्षण



अनुभवी शिक्षक द्वारा 7 दिनों का सिलाई मशीन प्रशिक्षण, जिसमें मशीन की बुनियादी जानकारी, मशीन चलना और सिलाई करना सिखाया जायेगा

प्रशिक्षण प्रमाण पत्र



माया बाई लोधी फाउंडेशन द्वारा प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जो की आपको प्रशिक्षण पूर्ण रूप से समाप्त करने पर दिया जायेगा





Simco Umbrella
Model TA 2 95 T 10

सिलाई मशीन पर 70% सब्सिडी

अगर कोई महिला प्रशिक्षण के उपरांत सिलाई मशीन खरीदने की इच्छुक है तो माया बाई लोधी फाउंडेशन सिलाई मशीने मात्र 3137/- रूपए मात्र में मशीने उपलब्ध करवाती है


01



क्या करना होगा

उक्त महिला को 7 दिनों का प्रशिक्षण पूर्ण करना अनिवार्य है और फाउंडेशन द्वारा प्रशिक्षण प्रमाण पत्र लेना भी आवश्यक है

02



मशीन कैसे मिलेगी

प्रशिक्षण समाप्त होने एवं प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत महिला सिलाई मशीन हेतु पंचायत भवन से मात्र 3137 राशि बैंक अकाउंट में जमा करके तुरंत मशीन प्राप्त कर सकती है

03



मशीन कब मिलेगी

अगर मशीन पंचायत भवन में समाप्त हो गयी है तो आपको 3 से 5 दिन प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है, असुविधा से बचने के लिए आप 500 रु अग्रिम भुगतान कर मशीन बुक कर सकती है

04



मशीन प्राप्ति नियम

मशीन प्राप्ति आपके द्वारा याचिका दर्ज करने के नंबर के आधार पर दी जावेगी, मशीन 3137 रु के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही प्रदाय की जावेगी, मशीन की होम डिलीवरी नहीं होगी, पंचायत भवन से ही मशीन प्रदाय की जावेगी

हमारे कार्यवाहक



ग्राम सहायक/ सहायिका

मुख्य काम - योजना के बारे में गाओं की महिलाओं को अवगत करवाना,

उद्देश्य - 20 पंजीयन करवा कर प्रशिक्षण प्रारम्भ करवाना

सैलरी - प्रति व्यक्ति 100 रु या 2000 रु प्रति सप्ताह




प्रशिक्षक

मुख्या काम - सहायिका द्वारा पंजीयन करवाए गए विद्यार्थियों को सिलाई मशीन का प्रशिक्षण देना

प्रशिक्षण दिवस - 7 दिन

सैलरी - प्रति व्यक्ति 100 रु या 2000 रु प्रति सप्ताह



डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइजर

मुख्य काम - सम्पूर्ण जिले में 30 ट्रेनिंग सेंटर को प्रारम्भ करना एवं सुचारु रूप से चलाना
सैलरी - 30.000 रु प्रति माह
न्यूनतम कार्य अपेक्षा - काम से काम 10 सेंटर खोलना अनिवार्य है अन्यथा सैलरी में से राशि की कटौती की जावेगी



डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइजर

30 ट्रेनिंग सेंटर पूर्ण रूप से प्रारम्भ हो जाने पर माया बाई लोधी फाउंडेशन द्वारा एक सहायक प्रबंधक, डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइजर को उपलब्ध करवाया जायेगा जिसकी सैलरी संस्था द्वारा दी जाएगी।

मुख्य काम - सेंटर को सुचारु रूप से चलने में सहायता करना



डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइजर सैलरी एवं सुविधा

डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइजर की मासिक सैलरी 30,000 रु होगी और जैसे ही डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइजर के द्वारा 30 सेंटर्स या 500 रजिस्ट्रेशन पूर्ण कर दिए जायेंगे , संस्था द्वारा एक ऑफिस , एक कम्प्यूटर और एक सहायक की सुविधा प्रधान की जावेगी कम से कम 10 सेंटर प्रति माह प्रारम्भ करना अनिवार्य है , अथवा सैलरी में कटौती की जावेगी



उदाहरण : 1

अगर डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइजर द्वारा 7 सेंटर ओपन किये गए जो की टारगेट 10 सेंटर्स का 70% है, तो सैलरी भी 70% हो जावेगी
सैलरी - 21,000



उदाहरण : 2

अगर डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइजर द्वारा सिर्फ 3 सेंटर ओपन किये गए जो की टारगेट 10 सेंटर्स का 30% है, तो सैलरी भी 30% हो जावेगी
सैलरी - 9,000



THANK YOU

For watching this presentation

माया बाई लोधी फाउंडेशन

-  +91-731-698-0264
-  info@mayabailodhifoundation.org
-  www.mayabailodhifoundation.org
-  AMGAON CHHOTA TEHSIL
GADARWARA DISTRICT
NARSINGHPUR (M.P.) 487551